



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231102
CG-DL-E-13112021-231102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4314]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/ कार्तिक 20, 1943

No. 4314]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4679(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् किझारखंड राज्य के पलामू जिले में NH75 के कि.मी. 39.6 से कि.मी. 49.38 (दलाओ पलामू) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्जीजीशन आफिसर पलामू को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के पलामू जिले में NH75 के कि.मी. 39.6 से कि.मी. 49.38 (दलाओ पलामू) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: पलामू			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नावाबाजार					
गांव का नाम: चेचरीया					
1	246	निजी(बकास्त)	मकान मय सहन	0.0850000(एकर)	0.0343990
2	247	सरकारी(गैर् मजरुवा)	रास्ता	0.3600000(एकर)	0.1456900
3	248	सरकारी(गैर् मजरुवा)	मकान मय सहन	0.0600000(एकर)	0.0242817
4	249	सरकारी(गैर् मजरुवा)	मकान मय सहन	0.0963000(एकर)	0.0389721
5	250	सरकारी(गैर् मजरुवा)	मकान मेय सहन	0.0228000(एकर)	0.0092270
6	251	निजी(बकास्त)	मकान मय सहन	1.2600000(एकर)	0.5099150
7	252	सरकारी(गैर् मजरुवा)	मकान मय सहन	0.0500000(एकर)	0.0202347
8	253	निजी(बकास्त)	टांड	0.5021000(एकर)	0.2031971
9	254	सरकारी(गैर् मजरुवा आम)	रास्ता	0.1750000(एकर)	0.0708215
10	255	सरकारी(गैर् मजरुवा)	टांड	0.0090000(एकर)	0.0036423
11	257	सरकारी(गैर् मजरुवा)	बांध	0.0480000(एकर)	0.0194253
12	259	निजी(बकास्त)	धान	0.0480000(एकर)	0.0194253
13	260	निजी(बकास्त)	टांड	1.4000000(एकर)	0.5665722
14	261	सरकारी(गैर् मजरुवा)	टांड	0.0125000(एकर)	0.0050587
15	262	सरकारी(गैर् मजरुवा)	टांड	0.0500000(एकर)	0.0202347

16	263	सरकारी(गैर मजरुवा आम)	रास्ता	0.0756000(एकर)	0.0305949
17	283	निजी(बकास्त)	टांड	0.0120000(एकर)	0.0048563
18	284	निजी(रैयती)	टांड	0.0590000(एकर)	0.0238770
कुल				4.3253	1.7504

[फा. सं. NHAI/RO/RNC/JH/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2021

S.O. 4679(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH75 in the stretch of land from Km. 39.6 to Km. 49.38 (DLAO PALAMU) in the district of PALAMU in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DISTRICT LAND ACQUISITION OFFICER PALAMU in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH75 in the stretch of land from Km. 39.6 to Km. 49.38 (DLAO PALAMU) in the district of PALAMU in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND		District: PALAMU			
Sr. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nawa Bazar					
Village: Chechariya					
1	246	Private(Bakast)	Makan May Sahan	0.0850000(Acre)	0.0343990
2	247	Government(Gair Majruwa)	Rasta	0.3600000(Acre)	0.1456900
3	248	Government(Gair Majruwa)	Makan May Sahan	0.0600000(Acre)	0.0242817
4	249	Government(Gair Majruwa)	Makan May Sahan	0.0963000(Acre)	0.0389721
5	250	Government(Gair Majruwa)	Makan May Sahan	0.0228000(Acre)	0.0092270

6	251	Private(Bakast)	Makan May Sahan	1.2600000(Acre)	0.5099150
7	252	Government(Gair Majruwa)	Makan May Sahan	0.0500000(Acre)	0.0202347
8	253	Private(Bakast)	Tand	0.5021000(Acre)	0.2031971
9	254	Government(Gair Majruwa Aam)	Rasta	0.1750000(Acre)	0.0708215
10	255	Government(Gair Majruwa)	Tand	0.0090000(Acre)	0.0036423
11	257	Government(Gair Majruwa)	Bandh	0.0480000(Acre)	0.0194253
12	259	Private(Bakast)	Dhan	0.0480000(Acre)	0.0194253
13	260	Private(Bakast)	Tand	1.4000000(Acre)	0.5665722
14	261	Government(Gair Majruwa)	Tand	0.0125000(Acre)	0.0050587
15	262	Government(Gair Majruwa)	Tand	0.0500000(Acre)	0.0202347
16	263	Government(Gair Majruwa Aam)	Rasta	0.0756000(Acre)	0.0305949
17	283	Private(Bakast)	Tand	0.0120000(Acre)	0.0048563
18	284	Private(Raiyti)	Tand	0.0590000(Acre)	0.0238770
Total				4.3253	1.7504

[F. No. NHAI/RO/RNC/JH/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director